

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>डी.आर. मेघवाल बनाम लो.सू.अ.(उपखण्ड अधिकारी लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 166/2017</p>	<p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>15.11.17</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी डी.आर. मेघवाल पुत्र प्रेमराम मेघवाल निवासी ग्राम सरेचां (बस स्टेण्ड के पास) तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 09.07.2017 में उसके द्वारा (1) श्रीमान् जी आपके कार्यालय के कर्मचारियों का ब्यौरा, उपस्थिति पंजिका की प्रतियां दिलाने फरवरी 2017 से जुलाई 31- 2017 तक, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज उपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अपीलार्थीपक्ष ने लिखित बहस में बतलाया कि प्रत्यर्थीपक्ष द्वारा जानबूझकर सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है इस कारण अपीलार्थी को मानसिक क्षति एवं आर्थिक रूप से क्षति पहुंच रही है अतः शीघ्रताशीघ्र सूचना दिलाई जाने का आदेश प्रदान किया जाय। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आदिनांक सूचना नहीं दी जानी पाई गई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।</p>	